प्रकाशन के लिए अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल

एम. ए. क्रमांक 940/2005

अपीलार्थी प्रबंधक, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

प्रत्यर्थीगण श्रीमती जानकी बाई एवं अन्य

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत विविध अपील

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

श्री अभिषेक सिन्हा एवं श्री घनश्याम पटेल, विद्वान अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से।

प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 6 की ओर से कोई उपस्थित नहीं, हालांकि उन्हें सूचना तामील की जा चुकी है।

प्रत्यर्थी क्रमांक 7, 9 और 10 की ओर से कोई उपस्थित नहीं, हालांकि उन्हें सूचना तामील की जा चुकी है।

श्री सचिन सिंह राजपूत एवं सुश्री रेनू सिंह, विद्वान अधिवक्ता , प्रत्यर्थी क्रमांक 8 की ओर से।

श्री आनंद कुमार गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी क्रमांक 11 की ओर से।

मौखिक आदेश

(दिनांक 08.10.2013**)**

संजय के. अग्रवाल, न्यायमूर्ति

(1) यह बीमा कंपनी की ओर से उस पंचाट के विरुद्ध अपील है, जो दिनांक 29.04.2005 को प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बलौदा बाजार द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 100/2005 में पारित किया गया था। इस पंचाट के माध्यम से अधिकरण ने 6% वार्षिक ब्याज के साथ कुल 6,01,000/- रुपये की राशि प्रदान की गई है और क्षतिपूर्ति के भुगतान का उत्तरदायित्व अपीलार्थी पर निर्धारित किया है।

(2) इस अपील के न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:

(2.1) दावाकर्ताओं ने मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत अधिकरण के समक्ष एक दावा याचिका दायर की, जिसमें दिनांक 11.6.2004 को एक वाहन दुर्घटना में गिरवर प्रसाद वर्मा की मृत्यु के लिए विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत कुल 33,80,000/- रुपये के क्षतिपूर्ति की मांग की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2.2) यह आरोप है कि दिनांक 11.6.2004 को रात लगभग 11.00 बजे, मृतक गिरवर प्रसाद वर्मा कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ अपनी मूल ग्राम करमदा से रायपुर की ओर जीप सूमो (पंजीकरण क्रमांक सी.जी. 04-बी/2475) से जा रहे थे। रास्ते में, तुर्रा गांव के पास एक ट्रक (पंजीकरण क्रमांक सी.जी. 04-जेडसी/0310), जिसे प्रत्यर्थी चालक (दिलीप कुमार) द्वारा लापरवाही और उतवलापूर्वक तरीके से चलाया जा रहा था, ने सूमो को टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप गिरवर प्रसाद वर्मा सहित चार व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इस ट्रक का स्वामित्व प्रत्यर्थी वर्धमान कार्गो कैरियर के पास था और यह अपीलार्थी-कंपनी द्वारा बीमित था।

(2.3) वह सूमो (पंजीकरण क्रमांक सी.जी. 04-बी/2475) जिसमें मृतक और अन्य व्यक्ति यात्रा कर रहे थे, प्रत्यर्थी - सुरेंद्र बाजपेई के स्वामित्व में थी, प्रत्यर्थी - 'द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी' द्वारा बीमित थी और प्रत्यर्थी - जय कुमार साहू द्वारा चलाई जा रही थी।

(2.4) सूक्ष्म विवेचन के उपरांत, अधिकरण ने ब्याज सहित 6,01,000/- रुपये के क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया और इसका अपीलार्थी-कंपनी पर भुगतान करने का उत्तरदायित्व सौंप दिया।

(3) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक सिन्हा का तर्क है कि विद्वान दावा अधिकरण ने अपीलार्थी-बीमा कंपनी पर दायित्व निर्धारित करने में त्रुटि की है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि दावा अधिकरण द्वारा दर्ज किया गया यह निष्कर्ष पूरी तरह से अनुचित है कि अपीलार्थी द्वारा बीमित दुर्घटनाकारित करने वाला वाहन (ट्रक) का चालक ही वाहन चलाने में पूरी तरह से लापरवाह था। उनका यह भी तर्क है कि दुर्घटना की तिथि पर उक्त वाहन के चालक के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और अधिकरण द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि भी बहुत अधिक है। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि बीमा कंपनी सभी आधारों पर आक्षेपित पंचाट को चुनौती देने की हकदार है क्योंकि मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 170 के तहत अनुमति दिनांक 6.1.2005 के आदेश द्वारा प्रदान की गई थी, इसलिए पंचाट के उस हिस्से को, जो अपीलार्थी/बीमा कंपनी पर दायित्व तय करता है, अपास्त किया जाए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(4) इसके विपरीत, प्रत्यर्थी क्रमांक 11 (सूमो के बीमाकर्ता) के विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद कुमार गुप्ता का तर्क है कि लापरवाही और ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में दावा अधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष न्यायसंगत और उचित हैं, और क्षतिपूर्ति की राशि में भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(5) मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेखों का अवलोकन किया और उनके परस्पर तर्कों पर विचार किया।

(6) दावा अधिकरण के समक्ष दायर लिखित कथन में, अपीलार्थी/बीमा कंपनी ने यह अभिवाक किया था कि दोनों वाहनों के चालक वाहन चलाने में लापरवाह थे और दुर्घटनाकारित वाहन के चालक के पास वाहन चलाने के लिए वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) 'योगदायी उपेक्षा' के उक्त तथ्य को साबित करने के लिए और यह कि दुर्घटनाकारित वाहन के चालक के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, अपीलार्थी-बीमा कंपनी ने अपने लिखित कथन में ली गई तर्कों के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया।

(8) 2013 (10) एससीएएलई 663 (पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी) में प्रकाशित किए गए एक निर्णय में, उच्चतम न्यायालय ने कंडिका 8 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"क्षतिपूर्ति के दावे में, बीमाकर्ता के लिए धारा 149(2)(क)(ii) के तहत यह बचाव लेना निश्चित रूप से खुला है कि दुर्घटना में शामिल वाहन के चालक के पास विधिवत लाइसेंस नहीं था। एक बार ऐसा बचाव लेने के बाद, इसका भार बीमाकर्ता पर होता है। लेकिन यह सिद्ध होने के बाद भी कि चालक के पास मौजूद लाइसेंस जाली था, क्या बीमाकर्ता पर दायित्व बनता है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। जहाँ तक वाहन के मालिक का संबंध है, जब वह किसी चालक को काम पर रखता है, तो उसे यह जांचना होता है कि चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं। इसके बाद उसे चालक की सक्षमता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना होता है। यदि उस संबंध में भी वह संतुष्ट हो जाता है, तो यह कहा जा सकता है कि मालिक ने वाहन चलाने के लिए योग्य और सक्षम व्यक्ति को नियुक्त करने में उचित सावधानी बरती है। वाहन मालिक से इससे आगे जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह चालक की सेवाएं लेने से पहले लाइसेंस जारीकर्ता प्राधिकारी से ड्राइविंग लाइसेंस की वास्तविकता का सत्यापन करे। हालांकि, स्थिति तब भिन्न होगी यदि वाहन के बीमा के समय या उसके बाद बीमा कंपनी वाहन के मालिक से लाइसेंस को लाइसेंस जारीकर्ता प्राधिकारी से विधिवत सत्यापित कराने की अपेक्षा करती है, या यदि वाहन के मालिक का ध्यान

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अन्यथा इस आरोप की ओर आकर्षित किया जाता है कि उसके द्वारा नियुक्त चालक को जारी किया गया लाइसेंस जाली है और फिर भी मालिक लाइसेंस जारीकर्ता प्राधिकारी से लाइसेंस की वास्तविकता के संबंध में मामले के सत्यापन के लिए उचित कार्रवाई नहीं करता है। यही बात स्वर्ण सिंह के मामले (पूर्वोक्त) में अभिनिर्धारित की गई है। यदि मालिक के पास ऐसी जानकारी होने के बावजूद कि उसके चालक के पास मौजूद लाइसेंस जाली है, बीमित व्यक्ति (मालिक) द्वारा उचित सत्यापन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो बीमित व्यक्ति दोषी होगा और ऐसी परिस्थितियों में, बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) अपीलार्थी बीमा कंपनी, जिसने 'योगदायी उपेक्षा' का तर्क दिया था, यह साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रही है कि चालक के पास दुर्घटनाकारित वाहन चलाने के लिए वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी/बीमा कंपनी यह सिद्ध करने में पूरी तरह और बुरी तरह से विफल रही है कि दुर्घटना की तिथि पर दुर्घटनाकारित वाहन के चालक के पास उसे चलाने के लिए वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।

(10) जहाँ तक लापरवाही के तथ्य का संबंध है, इससे संबंधित एम.ए.(सी) क्रमांक 939/2005 में मैंने उन साक्ष्यों का परीक्षण किया है जिनमें चंद्रिका (आ.सा.3) घटना का चक्षुदर्शी साक्षी था। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि दुर्घटनाकारित ट्रक का चालक उतावलेपन और लापरवाही से वाहन चला रहा था। अधिकरण के समक्ष दावेदार क्रमांक 1 श्रीमती शांति बाई (आ.सा.1) का परीक्षण किया गया और उन्होंने दुर्घटना से संबंधित तीन दस्तावेज प्रदर्श पी ए/1 से ए/3 प्रस्तुत किए थे, जिसमें प्रदर्श ए/1 अंतिम प्रतिवेदन की प्रति है, प्रदर्श पी ए/2 प्रथम सूचना प्रतिवेदन है और प्रदर्श ए/3 देहाती नालिशी की प्रति है। इन दस्तावेजों के सूक्ष्म विवेचन से पता चलता है कि अनावेदक क्रमांक 1 (चालक - दिलीप कुमार) के विरुद्ध दुर्घटनाकारित वाहन को उतावलेपन और लापरवाही से चलाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337 और 304-A के तहत अपराध दर्ज किया गया था और क्षेत्राधिकार वाले आपराधिक न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल किया गया था। इस प्रकार, उपरोक्त दो साक्षियों की साक्ष्य और दाखिल किए गए दस्तावेजों (प्रदर्श ए /1 से प्रदर्श ए /3) से स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि दुर्घटनाकारित वाहन का चालक, दिलीप कुमार, ट्रक चलाते समय उतावला और लापरवाह था और उसने वह दुर्घटना कारित की जिसमें मृतक को चोटें आईं और उसकी मृत्यु हो गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) चालक (दिलीप कुमार) उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए साक्ष्य कटघरे में नहीं आया, जिनमें दुर्घटना हुई थी। 'योगदायी उपेक्षा' का अभिवाक लेने वाली अपीलार्थी-बीमा कंपनी ने भी दोनों चालकों (दिलीप कुमार और जय कुमार साहू) का परीक्षण दावा अधिकरण के समक्ष कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इस प्रकार, अपीलार्थी/बीमा

कंपनी द्वारा अभिलेखों पर 'योगदायी उपेक्षा' की केवल तर्क देने के अलावा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, और इसके अभाव में यह नहीं माना जा सकता कि सूमो का चालक भी उक्त वाहन को चलाने में लापरवाह था।

(12) अतः, ड्राइविंग लाइसेंस और योगदायी उपेक्षा के मुद्दे पर दावा अधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष अभिलेखों पर उपलब्ध सामग्री पर आधारित हैं और इन्हें मनमाना, विकृत या अभिलेखों पर मौजूद साक्ष्यों के विपरीत नहीं कहा जा सकता। मैं एतद्द्वारा उन निष्कर्षों की पुष्टि करता हूँ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) जहाँ तक पंचाट के क्षतिपूर्ति की राशि का संबंध है, दावा अधिकरण ने मृतक की वार्षिक आय 48,000/- रुपये आंकी है, जबकि दावाकर्ताओं ने दावा किया था कि मृतक, जो एक टाइल्स चित्रकार और टाइल्स कारीगर था, प्रति माह 5,000/- से 5,500/- रुपये कमाता था। दावा अधिकरण ने व्यक्तिगत और जीवन निर्वाह व्यय के लिए 1/3 हिस्सा घटाने के बाद वार्षिक निर्भरता 32,000/- रुपये निर्धारित की और मृतक की आयु तथा आश्रितों की संख्या को देखते हुए 18 का गुणांक लागू किया। इस प्रकार निर्भरता की हानि के मद में 5,76,000/- रुपये (32,000 x 18) प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त, पारंपरिक शीर्षों के तहत 25,000/- रुपये दिए गए और इस प्रकार दावाकर्ताओं को आवेदन की दिनांक से 6% वार्षिक ब्याज के साथ कुल 6,01,000/- रुपये का प्रतिकर निर्धारित किया गया। चूँकि दावाकर्ताओं द्वारा राशि बढ़ाने के लिए कोई अपील नहीं की गई

है, मेरा यह मानना है कि छह दावाकर्ताओं (विधवा, चार नाबालिग बच्चे और मृतक की माँ) को दावा अधिकरण द्वारा दी गई राशि को अत्यधिक नहीं कहा जा सकता।

(14) परिणामतः, इस अपील में कोई सार नहीं है और इसे तदनुसार खारिज किया जाता है।

(15) वादव्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

सही/-
संजय के. अग्रवाल
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Adv. Amitesh Anand Rathore